बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 181446 पटना, दिनांक 25/03/2014

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(किस्त)-102-21/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास को भौतिक रूप से पूर्ण कराने के लिए लाभुकों को किस्तों में देय सहायता राशि में परिवर्तन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता राशि का इकाई दर 70,000 रूपये (IAP जिलों के लिए 75,000 रूपये) निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्र संख्या-149541 दिनांक-24.05.13 द्वारा उक्त राशि का किस्तों का निर्धारण करते हुए यह प्रावधान किया गया था कि आवास की स्वीकृति के उपरांत अग्रिम स्वरूप प्रथम किस्त 50,000 रूपये दी जायेगी तथा छत ढलाई पूर्ण हो जाने के उपरांत शेष राशि द्वितीय किस्त के रूप में दी जायेगी ।

2. कालांतर में निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के समाहरण (Convergence) से शौचालय निर्माण का प्रावधान करते हुए इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहमति से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्र संख्या-731 दिनांक-06.09.13 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश की कंडिका-3.1(x) में प्रावधान किया गया कि इंदिरा आवास की प्रथम किस्त की राशि से आवास की छत ढलाई के साथ शौचालय का निर्माण लाभार्थी द्वारा पूर्ण कर लिये जाने पर ही अंतिम किस्त की राशि का भुगतान अन्य निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर किया जायेगा ।

3. इंदिरा आवास योजना की प्रगति की समीक्षा से यह ज्ञात हो रहा है कि 50,000 रूपये की प्रथम किस्त की राशि से व्यापक पैमाने पर लाभार्थियों द्वारा छत ढलाई का कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं किन्तु शौचालय निर्माण नहीं किये जाने के कारण लाभार्थियों को द्वितीय और अंतिम किस्त का भुगतान नहीं हो पा रहा है, फलस्वरूप इंदिरा आवास भौतिक रूप से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं । इस संबंध में जिलों द्वारा बताया गया कि लाभार्थियों द्वारा ऐसा प्रतिवेदित किया जा रहा है कि 50,000 रूपये की सहायता राशि से छत ढलाई एवं शौचालय दोनों का कार्य पूर्ण कराना संभव नहीं है ।

4. उपर्युक्त कठिनाईयों तथा इंदिरा आवास के साथ शौचालय निर्माण कराने की महत्ता के साथ-साथ घरों को भौतिक रूप से पूर्ण कराने तथा शौचालय निर्माण कार्य में गति लाने की दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिन लाभुकों ने प्रथम किस्त की सहायता राशि से छत ढलाई का कार्य पूर्ण कर लिया है किन्तु शौचालय का निर्माण नहीं कराने के कारण उन्हें द्वितीय किस्त की राशि भुगतान नहीं किया जा सका है, ऐसे लाभुकों को देय द्वितीय किस्त की राशि (20,000 रूपये सामान्य क्षेत्रों के लिए एवं 25,000 रूपये IAP क्षेत्रों के लिए) में से 10,000 रूपये की राशि द्वितीय किस्त के रूप में लाभान्वितों को उपलब्ध करायी जाय । द्वितीय

25.3.14

किस्त के रूप में यह 10,000 रूपये की राशि तभी उपलब्ध करायी जायेगी जब लाभार्थी द्वारा छत ढलाई का कार्य पूर्ण करा लिया गया होगा और इस राशि से लाभार्थियों को अपने घर में अनिवार्यता शौचालय बनाना होगा । उसके उपरांत ही इंदिरा आवास की अवशेष सहायता राशि (10,000 रूपये सामान्य क्षेत्रों के लिए एवं 15,000 रूपये IAP क्षेत्रों के लिए) दी जायेगी तथा मनरेगा एवं निर्मल भारत अभियान के समाहरण से शौचालय निर्माण के लिए अनुमान्य राशि भी विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत लाभुकों को दी जोयगी । इस प्रकरण को भारत निर्वाचन आयोग को भेजकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है जिसका उद्धरण निम्नवत है -

"Indira Awas Yojana (IAY) Beneficiaries, who have been sanctioned housing scheme under IAY and have started work, will be assisted as per norms. No new construction will be taken up or fresh beneficiaries sanctioned assistance till the elections are over".

उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्धारित दर एवं दिशा-निर्देशों के आलोक में वर्ष 2013-14 के प्रथम किस्त प्राप्त लाभार्थियों को उक्तवत सहायता राशि उपलब्ध कराकर योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

25.3.14
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 181446 पटना, दिनांक 25/03/2014

प्रतिलिपि- सभी विभाग के मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, निर्वाचन विभाग, 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंग्लस रोड), पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निमित्त प्रेषित ।

प्रधान सचिव
25.3.14